



प्रेस नोट

जनपद सीतापुर

06 वारण्टी गिरफ्तार

जनपद सीतापुर में अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु एवम् वांछित अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही व गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक श्री आर. पी. सिंह द्वारा निरंतर प्रभावी अभियान चलाया जा रहा है।

पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा चलाये जा रहे अभियान के आदेश के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी महोदय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारीगण के नेतृत्व में दिनांक 10.02.2021 को थाना इमलियासुल्तानपुर, लहरपुर तथा रेउसा द्वारा कुल 06 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। गिरफ्तार वारण्टीगण को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

1. थाना इमलिया सुल्तानपुर द्वारा 02 वारंटी गिरफ्तार- 1.मु0अ0सं0 426/07 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम के वाद में वारंटी सुनील पुत्र रामौतार नि0 आलमपुर थाना इमलियासुल्तानपुर 2.मु0अ0सं0 179/13 धारा 25(1-बी) आर्म्स एक्ट के वाद में वारंटी हीरालाल पुत्र परशुराम नि0 हाता मजरा नौव्वा महमूदपुर को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया गया।
2. थाना लहरपुर द्वारा 03 वारंटी गिरफ्तार- थाना स्थानीय से संबंधित 1.मु0अ0सं0 215/96 धारा 25(1-बी) आर्म्स एक्ट के वाद संख्या 5054/06 में वारंटी हरनाम पुत्र रामासरे नि0 गुंगवा बेहड़ 2.मु0अ0सं0 29/18 धारा 498ए/304बी/302 भादवि व ¾ डीपी एक्ट के वाद संख्या 258/18 में वारंटी अनूप रैदास पुत्र रामलखन नि0 गदियाना 3.मु0अ0सं0 312/88 धारा 379/411 भादवि के वाद संख्या 2136/16 में वारंटी सर्वेश पुत्र गया महाराज नि0 मो0 मिश्रपुर को गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।
3. थाना रेउसा द्वारा 01 वारंटी गिरफ्तार- थाना स्थानीय से संबंधित 1.मु0अ0सं0 196/18 धारा 306 भादवि के वाद संख्या 466/18 में वारंटी प्रेम पुत्र खुशहाल नि0 अमलोरा थाना रेउसा को गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।